राजस्व आवेदन संख्या 138 / 2025
दूदाराम बनाम ईशराराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 138 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 221

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

दूदाराम पुत्र मलाराम
जाति मेघवाल
निवासी बुड़ीवाडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. ईशराराम पुत्र बुदराराम
2.आम्बाराम पुत्र बागाराम
3.ओमाराम पुत्र बागाराम
4.कानाराम पुत्र बागाराम
5.धापुदेवी पत्नी बागाराम
6.रणछाराम पुत्र बुदराराम
7.पोकरराम पुत्र बुदराराम
8.पूनमाराम पुत्र बुदराराम
9.बींजाराम पुत्र बुदराराम
10.उकड़ाराम पुत्र सरताराम
11.कालूराम पुत्र राणाराम
12.गंगादेवी पत्नी सांवलराम
13.वरजु पुत्री चुनाराम
14.शांति देवी पत्नी चुनाराम
15.गौतमराम पुत्र सांवलराम
16.चौथा पुत्र हुकमाराम
17.तुलछा पुत्र सांवलराम
18.धापु पुत्री चुनाराम
19.पारसराम पुत्र सांवलराम
20.बीबा देवी पत्नी चौथाराम
21.रमेश पुत्र सांवलराम
22.लुणा पुत्री चुनाराम
जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
23.गणपतराम पुत्र सवाराम
24.तुलसीदेवी पत्नी गणपतराम
25.पूनमाराम पुत्र हाथीराम
26.चतराराम पुत्र मोडाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

27.टीना पटेल पत्नी नवाराम

28.भाविन पुत्र नवाराम

29.अशोक कुमार पुत्र रणछोड़

30.कमलेश पुत्र रणछोड

31.गायत्री देवी उर्फ गजरो पत्नी रणछोड

32.वोताराम पुत्र मगाराम

जाति कलबी चौधरी निवासी बुडीवाडा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

33.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 08/08/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षैत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षैत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... बालोतरा

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षेत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षेत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षेत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 14.2.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तार्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 890/252 क्षेत्रफल 4.1116 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

08/08/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08/08/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

08/08/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा